

क्रमांक 2219 / 472 / आउशि / संबद्धता / 2018
प्रति,

भोपाल दिनांक 15-10-2018

प्राचार्य,
समस्त शासकीय अग्रणी महाविद्यालय,
मध्यप्रदेश।

विषय:- सत्र 2019-20 के लिए नवीन निजी महाविद्यालय/नवीन संकाय/नवीन विषय प्रारंभ करने एवं पूर्व संचालित पाठ्यक्रमों की निरंतरता के लिए प्राप्त आवेदनों के अग्रेषण हेतु दिशानिर्देश।

सन्दर्भ:- कुलसचिव, समस्त विश्वविद्यालय म0प्र0 तथा समस्त अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा क्षेत्रीय कार्यालय मध्यप्रदेश को जारी कार्यालयीन पत्र क्रमांक 2187/47/आउशि/संबद्धता/18 दिनांक 5.10.2018

प्रदेश में सत्र 2019-20 में नवीन महाविद्यालय/नवीन संकाय/नवीन पाठ्यक्रम/नवीन विषय प्रारंभ करने एवं पूर्व से संचालित अशासकीय महाविद्यालयों में संचालित पाठ्यक्रमों की निरन्तरता के लिए अनुमति/अनापत्ति प्रमाण पत्र संबंधी मार्गदर्शिका के साथ पारम्परिक पाठ्यक्रमों एवं विधि (ली) पाठ्यक्रमों के लिए पृथक-पृथक विस्तृत समय-सारणी जारी कर विभागीय वेबसाइट www.highereducation.mp.gov.in पर अपलोड की गई है जो एम.पी. ऑनलाइन के पोर्टल <http://hed.mponline.gov.in> पर भी उपलब्ध है।

2. अशासकीय महाविद्यालयों द्वारा ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत करना अनिवार्य है तथा इसकी एक हार्डकापी संबंधित प्राचार्य को समस्त दस्तावेजों के साथ शासकीय अग्रणी महाविद्यालय के कार्यालय में जमा करनी होगी।
3. ऑनलाइन प्रक्रिया के अन्तर्गत प्रस्तुत आवेदन एवं ऑनलाइन जमा शुल्क के आवेदनों को ही मान्य किया जावेगा। किसी भी स्थिति में ऑफलाइन जमा किए गए शुल्क से संबंधित आवेदनों पर विचार नहीं किया जावेगा।
4. नवीन महाविद्यालय/नवीन संकाय/पाठ्यक्रम तथा निरन्तरता शुल्क एम.पी. ऑनलाइन के पोर्टल के माध्यम से आयुक्त, उच्च शिक्षा के नाम से भारतीय स्टेट बैंक की सतपुडा भवन शाखा भोपाल के खाता क्रमांक 37289825032 तथा IFSC (SBIN0010145) में जमा होगा।
5. समस्त अशासकीय महाविद्यालयों से निरन्तरता शुल्क ऑनलाइन जमा कराया जाना सुनिश्चित किया जावे। उनके द्वारा निरन्तरता शुल्क जमा करने के उपरान्त ही संबंधित विश्वविद्यालय से संबद्धता प्रदान की जावेगी। निरन्तरता शुल्क जमा नहीं करने की स्थिति में उक्त महाविद्यालय को प्रवेश प्रक्रिया में सम्मिलित नहीं किया जावेगा।
6. यह भी सुनिश्चित किया जावे कि अशासकीय महाविद्यालयों से आवेदन प्राप्त होते ही त्वरित निरीक्षण की कार्यवाही कर उक्त आवेदनों को इस कार्यालय को अग्रेषित करें, इसके लिए आवेदन अग्रेषित करने की अंतिम तिथि की प्रतीक्षा न करें। बिना निरीक्षण प्रतिवेदन कोई भी आवेदन अग्रेषित नहीं किया जावे। निरीक्षण प्रतिवेदन के साथ निरीक्षण की फोटोग्राफ्स तथा निरीक्षण का वीडियो डी.वी.डी. में अपलोड कर अनिवार्य रूप से संलग्न करें।

पुस्तक-पुस्तक सूचियों सहित भिजवाना सुनिश्चित करें।

- (1) नवीन निजी महाविद्यालय प्रारम्भ करने संबंधी आवेदनों की सूची
- (2) विद्यमान अशासकीय महाविद्यालयों में नवीन संकाय/विषय/पाठ्यक्रम संचालित करने तथा द्वितीय/तृतीय वर्ष के विषय/पाठ्यक्रमों के आवेदनों की सूची
- (3) निरन्तरता संबंधी आवेदनों की सूची

अतः उपरोक्तानुसार समयसीमा में कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।
(आयुक्त/सचिव, उच्च शिक्षा द्वारा अनुमोदित)

(डॉ० धीरेन्द्र शुक्ला)
विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी
उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश

पृ०कमांक 2220/472/आउशि/संबद्धता/2018
प्रतिलिपि:-

मोपाल दिनांक 15-10-2018

1. समस्त अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा, क्षेत्रीय कार्यालय, मध्यप्रदेश।
2. समस्त प्राचार्य अशासकीय महाविद्यालय, मध्यप्रदेश।
3. विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, उच्च शिक्षा, आई.टी.सेल, मोपाल की ओर विभागीय वेबसाइट पर प्रकाशित करने हेतु प्रेषित।
— की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी
उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश

रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय, जबलपुर



पृ० कमांक/अका./2018/3119 "अ"

जबलपुर, दिनांक 22/10/2018

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:-

1. सम्मानीय समस्त कार्यपरिषद् सदस्य, रा०दु०वि०वि०, जबलपुर।
2. सम्मानीय समस्त संकायाध्यक्ष, रा०दु०वि०वि०, जबलपुर।
3. समस्त विभागाध्यक्ष, रा०दु०वि०वि०, जबलपुर।
4. अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा विभाग, जबलपुर संभाग जबलपुर।
5. परीक्षा नियंत्रक, रा०दु०वि०वि०, जबलपुर।
6. वित्त नियंत्रक, रा०दु०वि०वि०, जबलपुर।
7. उप कुलसचिव/सहायक कुलसचिव, गोपनीय/परीक्षा विभाग, रा०दु०वि०वि०, जबलपुर।
8. प्राचार्य, समस्त शासकीय महाविद्यालय, जबलपुर।
9. प्रभारी कम्प्यूटर सेंटर, रा०दु०वि०वि०, जबलपुर को इस निवेदन के साथ की अधिसूचना को वि०वि० की वेबसाइट में अपलोड करें।
10. प्रभारी, एम०पी०ऑन०लाईन सेंटर, कला भवन, रा०दु०वि०वि०, जबलपुर।
11. कुलपति जी के सचिव, रा०दु०वि०वि०, जबलपुर।

नोट:-प्रपत्र संलग्न है।

22/10/18
प्रभारी कुलसचिव

रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय,
जबलपुर